रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date.
GOVT OF INDIA

सं० 84] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1979/चैत्र 10, 1901
No. 84] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1979/CHAITRA 10, 1979

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

[सं० ओ०-17011/3/78-जी०ओ०पी०]—भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं० 1-25/65-सी०सी० तारीख 27 मई, 1966 में प्रत्याभूतियों की एक स्कीम अधिसूचित की थी, जिससे कि थोक उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियां और उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के राज्य तथा राष्ट्रीय परिसंघ, बैंककारी अभिकरणों से पर्याप्त कामकाज पूंजी कम किए गए मार्जिनों पर प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इस स्कीम के अधीन शीर्ष तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी बैंक को उनके द्वारा इन सहकारी सोसायटियों को दिए गए प्रतिभूत अग्रिम-धनों के बारे में अस्थायी अवधि के लिए एक सीमित प्रत्याभूति की व्यवस्था की गई थी। यह स्कीम 31 दिसम्बर, 1971 तक प्रवृत्त थी। कृषि मंत्रालय, सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं० ओ०-19011/9/71-जी०ओ०पी० तारीख 7 दिसम्बर, 1971 में केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति की एक उपान्तरित स्कीम अधिसूचित की गई थी, जो 1-1-1972 से 31-3-1974 की अवधि तक प्रवृत्त रहनी थी।

2. पांचवी पंच-वर्षीय योजनावधि (1-4-74 से 31-3-79 तक) के लिए एक उपान्तरित और उदारीकृत प्रत्याभूति स्कीम भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी। उस स्कीम के अनुसरण में भारत सरकार ने शीर्ष/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के साथ, उनके द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ, राज्य सहकारी उपभोक्ता परिसंघ और केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों को दिए गए प्रतिभूत अग्रिम-धनों की बाबत, करार किया था। तत्पश्चात्, देखिए उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० 017011/1/75-जी०ओ०पी०, तारीख 25 मई 1976 और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं० 017011/3/77-जी ओ पी, तारीख 7 फरवरी, 1978, यह भी विनिश्चय किया गया कि भारत सरकार किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के कारबार में लगे हुए सभी राज्य स्तरीय सहकारी परिसंघों को, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि इस प्रत्याभूति स्कीम के अधीन संरक्षण केवल उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए उनकी कामकाज पूंजी सम्बंधी उपेक्षाओं तक ही निर्बंधित होगी, और किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के खुदरा कारबार में लगी ऐसी संस्थाओं को जिनका विक्रय आवर्त कम से कम 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है और सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों में ऐसी संस्थाओं को, जिनका न्यूनतम वार्षिक विक्रय आवर्त्त 10 लाख रुपए है, दिए गए प्रतिभूत अग्रिम-धनों की बाबत उपर्युक्त बैंकों के साथ करार करेगी।

3. सहकारिता मंत्रियों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन में, जो नवम्बर-दिसम्बर, 1977 में हुआ था, यह अनुभव किया गया कि यदि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जब उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के लोक वितरण प्रणाली में अधिकाधिक सक्रिय होने की संभावना है, केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति स्कीम के

अधीन वित्तीय अभिकरणों से घटाए गए मार्जिन पर पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध नहीं हुआ तो इस कार्य को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं हो सकेगा । इसलिए सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि सरकारी प्रत्याभूति स्कीम को, जो 31-3-79 को समाप्त होने वाली है, पांच वर्ष की अवधि, अर्थात् 1-4-79 से 31-3-84 तक, के लिए और बढ़ा देना चाहिए । उपर्युक्त सिफारिश के अनुसरण में और आवश्यक वस्तुओं में सव्यवहार करने वाली सहकारी संस्थाओं द्वारा कामकाज पूंजी की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने, 10 प्रतिशत के घट गए मार्जिन पर सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऐसी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों को कामकाज पूंजी दिलाने की व्यवस्था करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति स्कीम को 1-4-79 से 31-3-84 तक की पांच वर्ष की और अवधि के लिए प्रवृत्त रखने का विनिश्चय किया है ।

4. उपर्युक्त विनिश्चय के अनुसरण में, भारत सरकार, उपबन्ध 1 में दिए गए प्रत्याभूति विलेख प्ररूप में, किसी भी शीर्ष/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित और कार्य कर रहे किसी भी बैंक/भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959) में यथा परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक के साथ उनके द्वारा निम्नलिखित को दिए गए प्रतिभूत अग्रिम धनों की बाबत, करार करने पर विचार करेगी, अर्थात्:—

(i) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ

(ii) उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों के सभी राज्य परिसंघ

(iii) सभी थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियां

(iv) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के कारबार में लगे हुए सभी राज्य स्तरीय सहकारी परिसंघ, परन्तु इस प्रत्याभूति के अधीन संरक्षण केवल उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए उनकी कामकाज पूंजी सम्बन्धी अपेक्षाओं तक ही निर्बन्धित रहेगा ।

(v) किसी भी नाम से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के खुदरा कारबार में लगी हुई ऐसी सभी सहकारी संस्थाएं, जिनका विक्रय आवर्त्त कम से कम 20 लाख रुपये प्रति वर्ष है तथा सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों (असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड) में ऐसी वे संस्थाएं जिनका न्यूनतम वार्षिक विक्रय आवर्त्त 10 लाख रुपए है ।

5. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, ऊपर पैरा 4(i) से 4(v) में उल्लिखित सभी सहकारी संस्थाओं को ऐसे माल की गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अंतर्गत बही-ऋण प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, प्रतिम् के लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1 अप्रैल, 1984 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत ही उपलब्ध होगी। बैंकों को ऐसे उधारों तथा अग्रिम-धनों पर केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखना है । किसी सोसायटी को दिए गए किसी ऐसे उधार या अग्रिम-धन की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन देयता, निम्नलिखित में से जो भी कम है वहां तक सीमित होगी, अर्थात् :—

(i) उस तारीख को, जिसको करार के निबन्धनों के अनुसार मांग की सूचना बैंक द्वारा जारी की गई है सहकारी सोसाइटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया सब प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की रकम का 25 प्रतिशत; या

(ii) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ की दशा में 75 लाख रुपये (पचहत्तर लाख रुपए), सभी राज्य स्तरीय परिसंघों की जिनके अंतर्गत पैरा 4(iv) में उल्लिखित सहकारी संस्थाएं भी हैं, दशा में 50 लाख रुपए (पचास लाख रुपए) तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं की, जिनके अंतर्गत पैरा 4(v) में उल्लिखित संस्थाएं भी हैं, चाहे उनके कारबार का स्थान महानगरों में है या कहीं और है, दशा में 30 लाख रुपए, (तीस लाख रुपए) इनमें से जो भी कम हो ।

6. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति, सरकार के लिखित पूर्व अनुमोदन से, 1 अप्रैल, 1984 से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए दिए गए प्रतिभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत उपलब्ध होगी । 1 अप्रैल, 1984 को या उसके पश्चात् प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम-धन और 31 मार्च, 1984 को विद्यमान किसी उधार या अग्रिम धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रत्याभूति के अंतर्गत नहीं आएगी । इस प्रत्याभूति के कारण उत्पन्न हुए केन्द्रीय सरकार का दायित्व 31 मार्च, 1984 को कारबार के बन्द होने के समय समाप्त हो जाएगा ।

7. सोसायटी, भारत के राष्ट्रपति के साथ इससे उपाबद्ध प्रत्याभूति-विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक करार करके निम्नलिखित के लिए बचनबद्ध होगी अर्थात्:—

(क) उधार, अग्रिम-धन या नकद उधार मंजूर करते समय बैंक द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करने के लिए;

(ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसायटी का कारबार तत्परतापूर्वक करने के लिए;

(ग) केन्द्रीय सरकार को उन सब धन-राशियों का प्रतिसंदाय मांग पर बिना किसी आपत्ति के करने की प्रत्याभूति देने के लिए, जो बैंक द्वारा सोसायटी की ओर से बैंक को संदाय करने में चूक के कारण केन्द्रीय करार से वसूल की जाए;

(घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करने, तदोपरान्त, स्टाक में हुई कमियों का तत्काल निर्धारण करने, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करने और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करने के लिए;

(ङ) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाएं देने में कड़ी सावधानी बरतने और साथ ही उसकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करने के लिए;

(च) प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबन्ध-रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करने और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए;

(छ) सोसायटी की सम्पत्तियों और आस्तियों की उन विल्लंगमों तथा कुर्कियों से भिन्न विल्लंगमों और कुर्कियों से मुक्त रखने के लिए जो बैंक के पक्ष में है तथा जिनके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में है और

(ज) केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सोसाइटी के लेखाओं तथा उसके कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधा प्रदान करने के लिए ।

यह करार धन राशि निकालने की तारीख से पूर्व निष्पादित किया जाएगा । बैंक कोई संदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि हस्ताक्षरित करार तथा प्रत्याभूति-विलेख की द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में सम्मति-पत्र नहीं दे दिए जाते हैं ।

8. केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों पर ब्याज के लिए लागू नहीं होती है ।

9. प्रत्येक बैंक ऐसे सभी वचन-पत्रों या वसूल न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंकों को उनके द्वारा सोसाइटी को दिए गए ऐसे उधारों के बारे में उपलब्ध हों, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के अधीन बैंक द्वारा दिए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंकों को देय सम्पूर्ण बकाया की उनके द्वारा वसूली के बाद भी तब तक प्रतिधारित रखेगा जब तक प्रत्याभूति-दाता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूरित रकम की वसूली न हो जाए ।

10. बैंक प्रत्याभूति-विलेख की द्वितीय अनुसूची में दिया गया इस आशय का एक सम्मति-पत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करेगा और केन्द्रीय सरकार को देगा कि सोसाइटी निम्नलिखित रूप में करार करता है कि—

(क) वह प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंक को संदत्त की गई किसी रकम पर ब्याज उसी दर से जिस दर से सोसाइटी को दिए गए उधार या अग्रिम-धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, तब तक देती रहेगी जब तक उक्त रकम केन्द्रीय सरकार को संदत्त या उसके पक्ष में समायोजित नहीं कर दी जाती;

(ख) वह उस तारीख के पश्चात् जिसकी प्रत्याभूति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने किसी रकम की प्रतिपूर्ति बैंक को की है, किन्तु प्रत्याभूति के अंतर्गत आने वाले उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंक के दावे की पूरी-पूरी तुष्टि हो जाने के पश्चात् और उस समय तक जब तक कि उन रकमों को जो उधार मद्दे सोसायटी द्वारा संदत्त या उससे वसूल की गई हैं और उन पर ब्याज तथा प्रभारों सहित सोसायटी द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उधार या अग्रिम धन लेखे सोसाइटी द्वारा दी गई या सोसायटी से वसूल की गई सब रकमों को प्रतिभू (केन्द्रीय सरकार) के खाते में जमा होने देगी या जमा करने के लिए बैंक को अनुज्ञा देगी;

(ग) सब ऐसे उधारों तथा अग्रिम धनों की बाबत बैंक के पक्ष में की प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार बैंक के पास होंगे और वह उनका प्रयोग तब तक करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के ऐसे सब दावों की पुष्टि नहीं हो जाती; और

(घ) बैंक ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों और दावों का अन्तरण केन्द्रीय सरकार को उस दशा में करेगा जब पश्चात्-कथित द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए ।

11. बैंक का यह समाधान हो जाने की दशा में कि सोसायटी प्रत्याभूति के अधीन दिए गए अग्रिम धन के प्रति बैंक को नियमित विश्रेषण करने में असफल रही है या किसी प्रत्याभूति को चालू रखने के लिए उसकी समाप्ति के पूर्व लिखित रूप में प्रतिभू का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने में असफल रहती है तो, बैंक घटाए गए मार्जिन पर सोसायटी द्वारा और धन प्राप्त करने की अनुज्ञा नहीं देगा तथा सोसायटी द्वारा सभी भावी के विश्रेषणों को प्रत्याभूत ऋण के खाते में तब तक जमा करता रहेगा जब तक कि वे पूर्ण रूप से प्रतिसंदत्त नहीं हो जाता ।

12. बैंक द्वारा किसी विशिष्ट सोसाइटी की बाबत केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा । प्रत्याभूति का आश्रय 1 अप्रैल, 1984 से पूर्व किसी भी समय लिया जा सकेगा । बैंक पहले सोसायटी के नाम इस प्रभाव की मांग सूचना जारी करेगा कि वह उस रकम को, जो बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम धनों के लेखे बैंक को देय हों, उस तारीख से 30 दिन के भीतर संदत्त करे जिसको ऐसी प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा तामील की गई है । ऐसी मांग की सूचना की एक प्रतिलिपि प्रतिभू को भी साथ-साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए । यदि सोसाइटी उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति तक रकमों का संदाय नहीं करती है तो बैंक केन्द्रीय सरकार के नाम मांग की सूचना जारी करेगा । केन्द्रीय सरकार बैंक की प्रत्याभूति के अधीन संदेय रकम की प्रतिपूर्ति उस तारीख के 90 दिन के भीतर करेगी जिसको उसे प्रत्याभूति का आश्रय लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्राप्त हो ।

13. इस अधिसूचना के अनुसरण में प्रत्याभूति चाहने वाला बैंक, किसी उधार या अग्रिम-धन की बाबत सरकार की प्रत्याभूति का आश्रय लिए जाने की दशा में केन्द्रीय सरकार के नाम उन रकमों को जमा करने के लिए वचनबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम-धनों की पूरी वसूली बैंक द्वारा सोसाइटी से किए जाने के पश्चात् सोसाइटी से वसूल की जाए । बैंक के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने के पश्चात् उपरोक्त रीति से कार्यवाही करे ।

14. उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट बैंक की बाध्यताएं, उस समय तक जारी रहेंगी जब तक कि वह रकम जिसकी प्रत्याभूति के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी गई है, केन्द्रीय सरकार को संदत्त नहीं कर दी जाती या केन्द्रीय सरकार के नाम जमा नहीं कर दी जाती या जब तक केन्द्रीय सरकार उक्त रकम का समायोजन अपने द्वारा बैंक या सोसायटी को संदेय किसी अन्य रकम से करने या उस रकम की वसूली का अधिव्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाती ।

15. संबद्ध राज्य की सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार वैध और प्रशासनिक रूप से सोसायटी के कार्यकरण का नियमित पर्यवेक्षण करने तथा सोसायटी के कार्यों और गतिविधियों में किन्हीं प्रतिकूल लक्षणों के पाए जाने की दशा में या यदि सोसायटी द्वारा अनियमित विश्रेषणों या सोसायटी के कार्यकरण में किन्हीं अन्य अवांछनीय वित्तीय बातों के संबंध में बैंक द्वारा कोई रिपोर्ट की जाने की दशा में समुचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए भी, सक्षम प्राधिकारी होगा । यह स्पष्टतः समझ लिया जाए कि यह प्रत्याभूति केवल तभी दी जाएगी जब सम्बद्ध राय की सहकारी सोसायटियों के रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित प्रस्ताव की सिफारिश की जाएगी । सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा की गई सिफारिश को ऐसे रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया यह आश्वासन समझा जाएगा कि सोसायटी के कार्यों और गतिविधियों के संबंध में बैंक और/या भारत सरकार से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, समुचित उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे ।

16. भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में, जो उपभोक्ता सहकारी समितियों, नई दिल्ली से संव्यवहार करता है, निदेशक/उपसचिव की पंक्ति का या उससे उच्चतर पंक्ति का कोई अधिकारी हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यकरूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिसूचना के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के संबंध में बैंकों के साथ प्रत्याभूति का विलेख करार करने के लिए प्राधिकारी होगा । अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी बैंकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे ऊपर उपदर्शित मंत्रालय में प्रत्याभूति तथा प्रवर्तन के भारसाधक अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें ।

के० एल० एन० राव, संयुक्त सचिव

उपाबन्ध

प्रत्याभूति-विलेख

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिभू' कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में ..... जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तथा संचालित बैंक है । भारतीय स्टेट बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित किया गया निगम है ..... (बैंक का नाम) जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किया गया निगम है । ..... के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसायटी है, और जिसका ..... कार्यालय ..... में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बैंक" कहा

गया है) के बीच 19 के/को .... के .... दिन किया गया यह प्रत्याभूति-विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :—

बैंक द्वारा .... को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सोसायटी' कहा गया है) पश्चात् कथित के निवेदन पर, उन मार्जिनों को शिथिल करके जो इस प्रत्याभूति की अनुपस्थिति में बैंक सामान्य रूप से अनुसरण करता, प्रतिभू बैंक को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित परिमाण तक उधारों और अग्रिम-धनों को सोसायटी द्वारा बैंक को प्रतिसंदाय, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर प्रत्याभूति करता है, जो इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित है :—

1. प्रतिभू की प्रत्याभूति, बैंक द्वारा प्रतिभू के लिखित पूर्व अनुमोदन से सोसायटी की विनिर्दिष्ट अवधियों के लिए 1 अप्रैल, 1984 से पूर्व दिए गए किसी ऐसे प्रतिभूत उधार या अग्रिम-धन की बाबत ही उपलभ्य होगी जो माल की गिरवी या आडमान के बदले में, जिसके अंतर्गत बही-ऋण, प्रतिभूतियां, विनिधान तथा अन्य जंगम सम्पत्ति भी है, दिया गया हो। बैंक ऐसे उधारों और अग्रिम धनों के लिए केवल 10 प्रतिशत का मार्जिन रखने के लिए सहमत है।

2. उक्त सोसायटी को उपरोक्त रूप में दिए गए उधार या अग्रिम-धन की बाबत प्रतिभू का दायित्व, किसी भी समय, निम्नलिखित में से जो भी रकम सबसे कम हो उससे अधिक नहीं होगा :—

(1) उस तारीख को जिसको प्रतिभू के नाम मांग की सूचना इसके खण्ड (3) के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसाइटी के नाम बैंक द्वारा जारी की जाती है, सोसाइटी के नाम बैंक की बहियों में वस्तुतः बकाया प्रत्याभूत किये गये उधारों तथा अग्रिम-धनों की रकम का पच्चीस प्रतिशत,

या

(2) .... लाख रुपये।

3. बैंक 1 अप्रैल, 1984 से पूर्व किसी भी समय प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा इसमें इसके पश्चात् विनिदिष्ट रीति से ले सकेगा, अर्थात् :—

(1) बैंक पहले सोसाइटी के नाम इस मांग की सूचना जारी करेगा कि वह उन रकमों को, जो उसे बैंक द्वारा दिए गए और प्रतिभू प्रत्याभूत किए गए उधारों और अग्रिम-धनों लेखे अपने को देय हों, उस तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त करे जिसको ऐसा प्रतिसदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा तामील की गई है। इस मांग नोटिस की एक प्रतिलिपि प्रतिभू को भी साथ-साथ पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

(2) यदि सोसाइटी, यथापूर्वोक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति पर, बैंक द्वारा उसे दिए गए और प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत किए गए उधारों तथा अग्रिम धनों का संदाय नहीं करती है, तो बैंक प्रतिभू के नाम मांग की सूचना जारी करेगा,

(3) बैंक प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा लेते समय, प्रतिभू को निम्नलिखित विवरण देगा :—

(1) उन मालों का ब्यौरा, जिन पर ऐसा उधार या अग्रिम-धन दिया गया है जिसकी बाबत प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है;

(2) उक्त मालों का बाजार मूल्य, और

(3) निम्नलिखित तारीखों को सोसाइटी के नाम बकाया रकमें :—

(क) वह तारीख जिसको प्रतिसंदाय मांगने की सूचना बैंक द्वारा सोसाइटी के नाम जारी की गई थी, तथा

(ख) प्रतिसंदाय मांगने की सूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति की तारीख, और

(4) प्रतिभू बैंक को देय रकम की इस प्रत्याभूति में उपबन्धित परिमाण तक प्रतिपूर्ति उस तारीख से 90 दिन के भीतर करेगा जिसको प्रत्याभूति का आसरा लेने और संदाय का दावा करने की बैंक की सूचना प्रतिभू ने प्राप्त की हो।

4. इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति इस बात के होते हुए भी प्रतिभू के विरुद्ध प्रवृत्त की जा सकेगी कि कोई प्रतिभूतियां जो बैंक ने सोसायटी से अभिप्राप्त की हो, बकाया हों या वसूल न की गई हों।

5. प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप में सोसाइटी भारत के राष्ट्रपति के साथ एक करार करेगी और इसके लिए वचनबद्ध करती है कि वह :—

(क) बैंक द्वारा उधार, अग्रिम-धन या नकद उधार मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के देयों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करेगी,

(ख) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारबार तत्परतापूर्वक करेगी,

(ग) केन्द्रीय सरकार की उन सब धनराशियों का प्रतिसंदाय, मांग पर बिना पूर्वापत्ति के करने की भी प्रत्याभूति देगी जो बैंक द्वारा सोसाइटी की ओर से बैंक को संदाय करने में व्यतिक्रम के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार से वसूल की जाए,

(घ) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करेगी, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य वसूली करेगी ;

(ङ) सोसायटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बरतेगी और साथ-साथ उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी;

(च) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबन्ध रिपोर्ट का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति प्रतिभू को भेजेगी,

(छ) सोसाइटी की संपत्तियों और आस्तियों को उन विल्लंगमों तथा कुर्कियों से मुक्त रखेगी—जो उनके अलावा है, जो बैंक के पक्ष में है तथा जिसके बारे में सरकार ने बैंक को प्रत्याभूति दी है अथवा जो राज्य सरकारों के पक्ष में है, और

(ज) प्रतिभू या इस निमित्त उसके द्वारा नाम निर्देशित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखाओं तथा अपने कार्यकरण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी।

बैंक सोसाइटी को तब तक कोई संदाय नहीं करेगा जब तक कि प्रत्याभूति विलेख की प्रथम अनुसूची के प्ररूप में करार तथा द्वितीय अनुसूची में दो सम्मति-पत्र पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित करके उसे नहीं दे दिए जाते।

6. बैंक उस प्रत्याभूति के प्रतिफलस्वरूप जो उसको प्रतिभू से उपलभ्य है, निम्नलिखित बातों के लिए सहमत होगा :—

(क) प्रतिभू को ऐसी कोई रकम संदत्त करना या उसके खाते में जमा करना जो प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत रकम की प्रतिपूर्ति कर दिए जाने की तारीख के पश्चात्, प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत उधारों तथा अग्रिम धनों की पूरी वसूली उसके द्वारा कर लिए जाने के पश्चात् सोसाइटी से वसूल की जाएगी,

(ख) ऐसे सब वचन-पत्रों या वसूल न की गई प्रतिभूतियों को, जो बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधारों के बारे में उसे उपलब्ध हो, बैंक की देय सम्पूर्ण बकाया की उसके द्वारा वसूली के पश्चात् भी तब तक प्रतिधारित रखना जब तक प्रतिभू द्वारा प्रतिपूरित रकम की वसूली न हो जाए ;

(ग) इसकी द्वितीय अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक सम्पतिपत्र सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना ;

(घ) यदि प्रतिभू द्वारा अपेक्षा की जाए तो अपने को देय बकाया की पूरी वसूली बैंक द्वारा कर लिए जाने के पश्चात् सब ऐसे वचन-पत्रों या प्रतिभूतियों को प्रतिभू तथा/या उसके नाम-निर्देशिती को अन्तरित करना किन्तु यह तब जब कि प्रतिभू को उसके द्वारा दी गई रकम की प्रतिपूर्ति न की गई हो ; और

(ङ) इसके उपाबद्ध प्रत्याभूति-विलेख की प्रथम अनुसूची में उपबन्धित प्ररूप में एक करार सोसाइटी से अभिप्राप्त करना और प्रतिभू को देना जैसा कि उसके खण्ड 5 में उपबन्ध किया गया है।

7. प्रतिभू की प्रत्याभूति सोसाइटी को मंजूर किए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों पर ब्याज के बारे में लागू नहीं होगी।

8. खण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में बैंक की बाध्यताएं उस समय तक जारी रहेंगी जब तक वह रकम जिसकी प्रतिभू द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है प्रतिभू को चुका नहीं दी जाती या उसके नाम जमा नहीं कर दी जाती या जब तक प्रतिभू अपने द्वारा बैंक या सोसाइटी को संदत्त की जाने वाली अन्य शोध्य रकम के साथ उक्त रकम का समायोजन न करने या उस रकम की वसूली का अधित्यजन करने के लिए सहमत नहीं हो जाता।

9. इस सोसाइटी की बाबत प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा बैंक द्वारा एक से अधिक बार नहीं लिया जाएगा और यदि प्रतिभू की प्रत्याभूति का आसरा लिया गया है या उसका आसरा लेने के पश्चात् कोई उधार या अग्रिम धन उस सोसाइटी को दिया जाता है जिसकी ओर से कोई रकम बैंक को प्रतिभू द्वारा की गई है, तो कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम धन बैंक की अपनी जोखिम पर होगा और ऐसे अतिरिक्त उधार या अग्रिम-धन के लिए प्रतिभू का कोई दायित्व नहीं होगा।

10. 1 अप्रैल, 1984 को या उसके पश्चात् प्रथम बार दिया गया कोई भी उधार या अग्रिम धन और 31 मार्च, 1984 को विद्यमान किसी उधार या अग्रिम-धन की बाबत बकाया रकम में कोई भी वृद्धि प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूत नहीं की जाएगी। प्रतिभू के दायित्व 31 मार्च, 1984 को कारबार बन्द होने का समय समाप्त हो जाएगा।

11. प्रतिभू, ऐसे उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत, जिनके सम्बन्ध में यह प्रत्याभूति बैंक को उपलब्ध है, ऐसी जानकारी और विवरणियां बैंक से अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा और बैंक ऐसी जानकारी और विवरणियां ऐसे अन्तरालों पर तथा ऐसी रीति में देगा जैसी प्रतिभू द्वारा विनिर्दिष्ट या अपेक्षित की जाए।

12. यदि इस करार से उद्भूत या उसके सम्बन्ध में या इसके अर्थ या निर्वचन के बारे में अथवा इस करार की बाबत अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद इसके पक्षकारों के बीच हो तो वह तत्समय भारत सरकार के अपर विधि सलाहकार (माध्यस्थम) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा और उक्त अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों में जिनसे यह प्रत्याभूति सम्बन्धित है, कार्रवाई करनी पड़ी थी या सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में वह उन सब बातों पर या उनमें से किसी पर, जिनके बारे में विवाद या मतभेद है, अपने विचार प्रकट कर चुका है। माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्ध या उसके कोई कानूनी उपान्तरण या पुन: अधिनियमिति ऐसे माध्यस्थ को लागू होंगे। माध्यस्थम कार्यविधियां उस स्थान पर की जाएंगी जिसे माध्यस्थ विनिश्चित करे। मध्यस्थम को यह हक होगा कि वह पंचाट करने का समय पक्षकारों की सम्मति से समय-समय पर बढ़ा सके।

13. इस प्रत्याभूति-विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा।

14. इसके साक्ष्यस्वरूप प्रतिभू और बैंक ने यह विलेख ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को सम्यक रूप से निष्पादित करया है।

निदेशक (प्रत्याभूति तथा प्रचालन)
भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से परिमर में कार्यकारी
भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में
जो उपभोक्ता सहकारी समितियों
से संव्यवहार करता है।
निम्नलिखित की उपस्थिति में साक्षी
(1)
(2)

प्रथम अनुसूची

करार

एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'केन्द्रीय सरकार' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक संदर्भ में अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) और दूसरे पक्षकार के रूप में ..... के अधीन रजिस्ट्रीकृत ..... सहकारी सोसाइटी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत/केन्द्रीय/मुख्य कार्यालय ..... में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सोसाइटी' कहा गया है जिस पद के अन्तर्गत, जब तक संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, उसके निष्पादक प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती और उत्तराधिकारी भी समझे जाएंगे) के बीच आज 19 ..... के/की ..... के ..... दिन किया गया यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :—

..... बैंक के द्वारा, सोसाइटी को उधार, अग्रिम-धन नकद-उधार सीमाएं और अन्य बैंककारी सुविधाएं और सौदर्या देने के प्रतिफल स्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा सोसाइटी को दिए गए उधार और अग्रिम धन के एक भाग के प्रतिसंदाय की केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रत्याभूति देने पर, सोसाइटी केन्द्रीय सरकार से एतद्द्वारा वचनबद्ध करती है कि वह :—

(1) बैंक द्वारा, उधार, अग्रिम धन या नकद-उधार मंजूर करते समय अधिकथित शर्तों के अनुसार बैंक के शोध्यों को नियमित रूप से और शीघ्रता से संदत्त करेगी ;

(2) लाभ कमाने की दृष्टि से सोसाइटी का कारबार तत्परतापूर्वक करेगी ;

(3) स्टाकों के नियमित सत्यापन की पद्धति को कार्यान्वित करेगी, तदोपरान्त कमियों का तत्काल निर्धारण करेगी, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करेगी और जिम्मेदार व्यक्तियों से उनके मूल्य की वसूली करेगी ;

(4) सोसाइटियों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को उधार देने की सुविधाओं का विस्तार करने में बड़ी सावधानी बरतेगी और साथ ही उनकी व्यवस्थित तथा तत्काल वसूली के लिए उपाय करेगी ;

(5) प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तारीख को तिमाही व्यापार और लाभ तथा हानि और तुलन-पत्र का तैयार किया जाना और साथ ही सोसाइटी के कार्यकरण की तिमाही प्रबन्ध रिपोर्ट

का तैयार किया जाना सुनिश्चित करेगी और प्रत्येक तिमाही में उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को और राज्य सरकार को भी भेजेगी ;

(6) सोसाइटी की संपत्तियों और आस्तियों को विल्लंगम तथा मुक्तियों से मुक्त रखेगी—जो उनके अलावा है, जो बैंक के पक्ष में है तथा जिनके बारे में सरकार ने बैंक प्रत्याभूति दी है अथवा वे जो राज्य सरकार के पक्ष में है, और

(7) केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्देशित किए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपने लेखा तथा अपने कार्य-करण की परीक्षा करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी ।

2. सोसाइटी, केन्द्रीय सरकार की उन सब धन राशियों का प्रति-संदाय, मांग पर बिना पूर्वापत्ति, के करने की प्रत्याभूति करती है जो बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से सोसाइटी की ओर से लिए गए व्यतिक्रम के फलस्वरूप वसूल की जाए ।

3. उपरोक्त खण्ड 2 के सिवाय, इस करार से उद्भूत होने वाले या इससे किसी प्रकार से सम्बद्ध या सम्बन्धित सभी विवाद और मतभेद भारत सरकार के ऊपर विधि सलाहकार (माध्यस्थम्) का पद धारण करने वाले व्यक्ति के एक मात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे । यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि माध्यस्थ सरकारी सेवक है या कि उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी मामले पर अपने विचार प्रकट किए थे । भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम के उपबन्ध ऐसे माध्यस्थमों को लागू होंगे । मध्यस्थ का पंचाट अन्तिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उसकी ओर से.....
.....(नाम और पदाभिमान)
द्वारा हस्ताक्षरित सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पदाभिमान) ।

साक्षी :—
(1)
(2)

द्वितीय अनुसूची

सम्मति-पत्र

सेवा में,

1. .....बैंक

2. भारत के राष्ट्रपति.....द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बैंक" कहा गया है).....को दिए गए उधारों तथा अग्रिम-धनों के एक भाग में प्रतिसंदाय की प्रत्याभूत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है) के सहमत हो जाने के फलस्वरूप, हम यह करार करते हैं कि की ई भी वचन-पत्र और माल की गिरवी या आडमान के रूप में कोई भी प्रतिभूति, जिसके अन्तर्गत बही, ऋण, प्रतिभूतियों, विनिधान और अन्य जंगम सम्पत्ति भी है जो ऐसे उधारों और अग्रिम-धनों के सम्बन्ध में हमने बैंक को दी है और हमारे द्वारा दी जाए, इस बात के होते हुए भी अस्तित्व में रहेगी तथा बैंक द्वारा प्रतिधारित की जा सकेगी कि राष्ट्रपति द्वारा बैंकों को दी गई प्रतिभूति के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने हमारे खाते में की किसी कमी को पूरा कर दिया है, हम यह और करार करते हैं कि :—

(क) हम राष्ट्रपति को प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा बैंकद्वार को दी गई किसी रकम पर ब्याज उसी दर से जिस दर से हम को दिए गए उधार या अग्रिम-धन पर ब्याज बैंक द्वारा प्रभारित किया गया है या किया जाए, तब तक देते रहेंगे जब तक उक्त रकम राष्ट्रपति को संदत्त या उनके पक्ष में समायोजित नहीं कर दी जाती ;

(ख) उस तारीख के पश्चात् जिसको अपनी प्रत्याभूति के अनुसरण में राष्ट्रपति ने किसी रकम की बाबत बैंक की प्रतिपूर्ति की है, किन्तु राष्ट्रपति को प्रत्याभूतियों के अन्तर्गत आने वाले उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंक के दावे की पूरी तुष्टि हो जाने के पश्चात् और उस समय तक जब तक उन रकमों की, जिनकी राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है, उन पर ब्याज तथा प्रभारों सहित, हमारे द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं कर दी जाती, उधार या अग्रिम-धन लेखे हमारे द्वारा दी गई या हमसे वसूल की गई सब रकमों को जमा करेंगे या जमा करने के लिए बैंक को अनुज्ञा देंगे ;

(ग) ऐसे सब उधारों तथा अग्रिम-धनों की बाबत बैंकों के पक्ष में की गई प्रतिभूतियों के बारे में सभी अधिकार बैंक के पास रहेंगे और यह उनका प्रयोग तब तक करता रहेगा जब तक कि राष्ट्र-पति के ऐसे सभी दावों की, जो खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किए गए हैं, तुष्टि नहीं हो जाती; और

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों के अधीन अपने अधिकारों तथा दावों या बैंक उस दशा में राष्ट्रपति को अन्तरण करेगा, जबकि उनके द्वारा या उनकी ओर से ऐसी अपेक्षा की जाए ।

सोसाइटी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित (नाम और पदाभिमान)

साक्षी—
(1)
(2)

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 1979

[**No. O 17011/3/78-GOP**].—The Government of India notified in their notification No. 1.25/65.CC dated 27-5-1966, a scheme of guarantee to enable the wholesale consumer co-operative societies and State and National Federations of Consumer Cooperatives to secure adequate working capital from banking agencies on reduced margins. Under this scheme, a limited guarantee, for a temporary period, was provided to Apex and District Central Cooperative Banks and to any Bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934, in respect of secured advances made by them to these cooperative societies. The Scheme was operative upto the 31st December, 1971. A modified scheme of Central Government Guarantee, was in force for the period from 1-1-1972 to 31-3-1974, and notified in Krishi Mantralaya, Sahkarita Vibhag Notification No. O 17011/9/71-GOP dated the 7th December, 1971.

2. A modified and liberalised guarantee scheme for the Fifth Five Year Plan Period (from 1-4-1974 to 31-3-1979) was notified by tthe Government of India. In pursuance of that scheme Government of India entered into agreement with Apex/District Central Cooperative Bank, and other Nationalised Commercial Banks in respect of secured advances made by them to National Consumers Cooperative Federation, State Federation of Consumer Cooperatives and Central/Wholesale Consumer Cooperative Societies. Subsequently vide notification of the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies & Cooperation) notification No. O 17011/1/75-GOP dated 25th May, 1976 and Ministry of Civil Supplies & Cooperation notification No. O 17011/3/77-GOP dated 7th February, 1978 was further decided that Government of India will enter into asignment with the above said banks in respect of secured advances to all State Level Cooperative Federation engaged in the business of Consumer articles registered with whatsoever nomenclature, provided that the coverage under this guarantee scheme will be restricted to their working capital requirements for distribution of consumer articles alone and

all cooperative institutions engaged in retail business in the distribution of consumer articles registered with whatsoever nomenclature and having a sales trun over of at least Rs. 20 lakhs per annum and in case all such institutions in cooperatively under developed States, having minimum annual sales turnover of Rs. 10 lakhs.

3. The conference of the Ministry of Cooperation and Registrar of Cooperative Societies of States and Union Territories held in November-December, 1977 felt that during the Sixth Five Year Plan when the consumer cooperatives are likely to be involved more and more in the Public Distribution System it would hardly be possible for them to fulfil the task if adequate finance from the financing agencies are not available at reduced margin under the Central Government Guarantee Scheme. The conference therefore recommended that the Government guarantee scheme which is due to expire on 31-3-1979, should further be extended for a period of five years i.e. from 1-4-1979 to 31-3-1984. In pursuance of the above recommendation and having regard to the increasing need of working capital by the cooperative institutions dealing in essential articles it has been decided by the Government of India to operate the scheme of Central Government Guarantee for a further period of five years from 1-4-1979 to 31-3-1984 with a view to providing working capital loan to such consumer cooperatives from cooperative and nationalised banks at reduced margin of 10 per cent.

4. In pursuance of the above decision the Government of India will consider entering into agreements in the form of Deed of Guarantee at Annexure I, with any Apex/District Central Cooperative Bank, any bank constituted and functioning under banking companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970|State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955, a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks Act, 1959) in respect of secured advances made by them to :—

(i) National Cooperative Consumers Federation.

(ii) All State Federation of Consumer Cooperatives.

(iii) All Wholesale/Central Consumers Cooperative Societies.

(iv) All State Level Cooperative Federation engaged in the business of consumer articles registered under any nomenclature provided that their coverage under this guarantee scheme will be restricted to their working capital requirements for distribution of consumer articles alone.

(v) All cooperative institutions engaged in retail business in the distribution of consumer articles, registered with whatsoever nomenclature and having sales turn over of at least Rs. 20 lakhs and in case of such institutions in the cooperatively under developed states (Assam, Bihar, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, West Bengal, Manipur, Tripura & Nagaland) having the minimum annual sales turnover of Rs. 10 lakhs.

5. The Central Government Guarantee will be available only in respect of secured loans and advances guaranteed for specific period before 1-4-1984 with the prior approval in writing of the Surety, against pledge or hypothecation of goods, which would include book debts securities, investments and other moveable property, to all cooperative institutions mentioned in para 4(i) to 4(v) above. The banks have to keep a margin of 10 per cent only on such loans and advances. The liability under the Central Government's Guarantee in respect of any such loan and advances to any society will be limited to :—

(i) 25 per cent of the amount of all guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the bank against the cooperative society on the date on which the notice of demand is issued by the bank in accordance with the terms of the agreement ;

OR

Rs. 75 lakhs (Rupees Seventy Five lakhs) in the case of the National Cooperative Consumers Federation, Rs. 50 lakhs (Rupees Fifty lakhs) in the case of all State Level Federation including cooperative institutions mentioned in para 4(iv) and Rs. 30 lakhs (Rupees Thirty lakhs) in the case of all other cooperative institutions including those mentioned in para 4(v) irrespective of their place of business in metropolitan cities or elsewhere.

whichever amount is less.

6. The guarantee in pursuance of this Notification will be available only in respect of secured loans and advances granted, for specific periods, with the prior approval in writing of the Central Government before the 1st April, 1984. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1984, and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1984 shall be covered by the guarantee. The Central Government's liability on account of this guarantee shall become determined at the close of business on the 31st March, 1984.

7. The society shall enter into an agreement with the President of India in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee, annexed hereto, undertaking :—

(a) to pay the dues of the bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the bank while sanctioning the loan, advance or cash credit ;

(b) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit ;

(c) to guarantee to the Central Government repayment of all moneys that may be recovered by the bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the bank on demand without demur ;

(d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible ;

(e) to exercise strict caution in the extension of credit facilties to societies, institutions, and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery ;

(f) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss account and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working, and submit a copy of it to the Central Government and to the State Government every quarter ;

(g) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Governments ; and

(h) to provide all facilities to the Central Government or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts of the society and its working.

The agreement shall be executed before the date of drawal of the money. The Bank shall not make any payment unless the signed agreement and the Letter of Consent in the form provided in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished.

8. The Central Government's guarantee does not extend to the interest on the loans and advances granted by banks.

9. Every bank shall continue to hold all the promissory notes and unrealised securities which may be available to the bank in respect of such loans granted by it to the society even after realisation by it in full, of the outstanding dues to it in respect of the loans and advances advanced by it under the Central Government Guarantee, till the amount reimbursed by the Central Government as guarantor is realised.

10. The bank shall obtain from the society and furnish to the Central Government, a letter of consent byt he society

as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee. to the effect that the society agrees to :—

(a) continue to pay interest on any amount paid to the bank by the Central Government in pursuance of the guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the bank on the loan or advance made to the society, until the said amount is paid to or adjusted in favour of the Central Government ;

(b) credit or permit the bank to credit to the account of the Surety all the amounts paid by or recovered from the society on account of the loan or advance, after the date on which the Central Government have reimbursed any amount to the bank in pursuance of the guarantee but after the banks claim in respect of the loans and advances covered by the guarantee has been fully satisfied and so long as the amounts paid by or recovered from the society on account of the loan interest and charges thereon have not been reimbursed by the society.

(c) the bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the Central Government are satisfied ; and

(d) the bank transferring its rights and claim under such securities to the Central Government, if so required by the latter.

11. In the event of the bank being satisfied that the society has failed to make regular remittances to the bank against the advance made under the guarantee or fails to obtain the prior approval of the Surety in writing for the continuance of a guarantee before its expiry, the bank will not allow further drawals by the society at reduced margin and will continue to credit all further remittances by the society to the account of the guaranteed loan till it is fully repaid.

12. The Central Government's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the bank in respect of a particular society. The guarantee may be invoked at any time before the 1st April, 1984. The bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount due to it on account of the loans and advances granted to it by the bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the Bank. A copy of such notice should be endorsed to the Surety simultaneously. On the expiry of the period of 30 days if the society does not make payment of the amounts, the bank may issue a notice of demands on the Central Government. The Central Government shall reimburse to the bank the amount payable to it under the guarantee. within a period of 90 days, from the date of receipt of the Bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

13. The bank, seeking a guarantee in pursuance of this notification shall, in the event of the Government's guarantee being invoked in the case of any loan or advance, undertake to credit to the Central Government any sums which may be realised from the society after the bank has realised from the society in full the loans and advances guaranteed by the Central Government. It shall be obligatory on the bank to take action in the above manner after the Central Government has reimbursed the amount under the guarantee

14. The obligations of the bank referred to in the above clauses shall continue till such time as the amount reimbursed by the Central Government under the guarantee has been paid or credited to the Central Government or until the Central Government has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the bank or to the society or to waive recovery of the amount.

15. The Registrar of Cooperative Societies of the concerned State is legally and administratively the competent authority for exercising regular supervision over the working of the society and also for taking appropriate remedial measures in case any adverse features are noticed in the affairs and working of the society or if there is any report by the bank with regard to irregular remittances by the society or any other undesirable financial features in its operation. It is clearly understood that this guarantee will be given only if the proposal is recommended by the Registrar of Cooperative Societies of the concerned state. A recommendation made by the Registrar of Cooperative Societies will be deemed to be an assurance by such Registrar that necessary steps will be taken for regular supervision of the affairs and working of the society and that appropriate remedial measures will be taken in case of any such adverse report received from the Bank and/or from the Government of India on the affairs and working of the society.

16. Any officer of the rank of Director/Deputy Secretary and above in the Ministry of the Government of India dealing in Consumers' Cooperatives, New Delhi duly nominated by the competent authority will be the authority to enter into the prescribed agreement of guarantee with the banks for the Central Government Guarantee in pursuance of this notification. All banks referred to in the notification are advised to contact the officer incharge of the Guarantee and Operation in the Ministry as indicated above in case they wish to avail themselves of the facility provided by the Central Government.

K. L. N. RAO, Jt. Secy.

ANNEXURE

DEED OF GUARANTEE

This Deed of Guarantee entered into on the_____ day of _____ between the President of India (hereinafter called "the Surety") of the one part and the_____

a bank constituted and functioning under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings), Act, 1970/ State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955_____

(name of the Bank), a subsidiary Bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959/a Cooperative Society registered under_____

and having its_____ office at_____

(hereinafter called "the Bank") of the other part witnessth as follows :—

In consideration of the Bank, making loans and advances to_____

(hereinafter called the 'Society') at the latter's request, after relaxing margins which the Bank but for this guarantee might have normally kept, the Surety hereby guarantees to the Bank to the extent hereinafter provided the repayment of loans and advances by the Society to the Bank subject to their terms and conditions hereinafter mentioned :—

1. The Surety's guarantee will be available only in respect of any secured loan or advance granted for specific periods to the society with the prior approval in writing of the Surety by the Bank before the 1st of April, 1984, against the pledge or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, investments and other movable property. The Bank agrees to keep a margin of only 10 per cent against such loans and advances.

2. The Surety's liability in respect of any loan or advance granted as above to the said Society shall not at any time exceed :—

(i) twenty-five per cent of the amount of the guaranteed loans and advances actually outstanding on the books of the Bank against the society on the date on which the notice of demand on the Surety is issued by the Bank in accordance with the provisions of the clause (3) hereof :—

OR

(ii) Rs. _____ --lakhs only

whichever amount is less.

3. The Bank may invoke the Surety's guarantee at any time before the 1st of April, 1984, in the manner hereinafter specified, namely,—

(i) The Bank shall first issue a notice of demand on the society to pay the amount due to it on account of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, within thirty days of the date on which the notice asking for such repayment is served by the Bank. A copy of such notice should be endorsed to the Surety simultaneously.

(ii) If on the expiry of the period of 30 days, as aforesaid, the Society does not make payment of the loans and advances granted to it by the Bank and guaranteed by the Surety, the Bank shall issue a notice of demand on the Surety.

(iii) The Bank shall while invoking the Surety's guarantee, furnish to the Surety :—

(i) details of the goods, against which loan or advance in respect of which the guarantee is invoked has been granted.

(ii) the market value of the said goods, and

(iii) the amounts outstanding against the Society as at :—

(a) the date on which the notice asking for repayment was issued to the Society by the Bank, and

(b) the expiry of thirty days of the date of notice asking for repayment, and

(iv) The Surety shall reimburse to the Bank the amount due to it to the extent provided in this guarantee within a period of 90 days from the date of receipt by the Surety of the Bank's notice invoking the guarantee and claiming payment.

4. The guarantee herein contained shall be enforceable against the Surety notwithstanding that any securities that the Bank may obtain from the Society shall be outstanding or unrealised.

5. The Society shall enter into an agreement with the President of India in the form annexed in the First Schedule to the Deed of Guarantee, undertaking :—

(a) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan, advance or cash credit ;

(b) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit ;

(c) guaranteeing to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Government on account of any default on the part of the society to make payment to the Bank, on demand without demur ;

(d) to implement a system of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility herefor and recovery of their value from those responsible ;

(e) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery ;

(f) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss account and balance sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Surety every quarter ;

(g) to keep the properties and assets of the society free from encumbrances and attachments except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Governments, and

(h) to provide all facilities to the Surety or any person or persons nominated by it in this behalf to examine its accounts and its working ;

The Bank shall not make any payment to the Society unless the agreement in the proforma in the First Schedule and the letter of Consent as in the Second Schedule to the Deed of Guarantee are furnished to it duly executed by the parties.

6. The bank shall agree, in consideration of the guarantee which is available to it from the Surety :—

(a) to pay or credit to the account of the Surety any amount which will be realised from the society after the date on which the Surety has reimbursed the amount guaranteed, after it has realised in full the loans and advances guaranteed by the Surety ;

(b) to retain all the promissory notes or unrealised securities which may be available to the Bank in respect of the loan granted by it to the Society even after realisation by it in full of the outstandings due to it, till the amount reimbursed by the Surety is realised ;

(c) to obtain from the Society and to furnish to the Surety, a letter of consent in the form provided in the Second Schedule hereto ;

(d) If so required by the Surety, to transfer all such promissory notes or securities to the Surety, and/or his nominee, after the Bank has realised in full the outstanding due to it, but if the Surety has not been reimbursed the amount paid by it ; and

(e) to obtain from the Society and furnish to the Surety an agreement in the form provided in the First Schedule to the Deed of Guarantee annexed hereto, as provided in the Clause 5 hereto.

7. The Surety's guarantee will not extend to the interest on the loans and advances sanctioned to the society.

8. The obligations of the Bank in pursuance of the provisions of clause (6) shall continue until such time as the amount reimbursed by the Surety has been paid or credited to the Surety, or until the Surety has agreed to adjust the said amount against any other amount due to be paid by it to the Bank or to the Society or to waive the recovery of the amount.

9. The Surety's guarantee shall not be invoked on more than one occasion by the Bank in respect of the Society and if or after the Surety's guarantee has been invoked, any loan or advance is granted to the Society on whose behalf any amount has been paid to the Bank by the Surety, any such loan or advance shall be at the Bank's own risk and the Surety will have no liability on account of such further loan or advance.

10. No loan or advance granted for the first time on or after the 1st April, 1984, and no increase in the amount outstanding in respect of any loan or advance subsisting on the 31st March, 1984, will be guaranteed by the Surety. The Surety's liability shall become determined at the close of business on the 31st March, 1984.

11. The Surety shall be entitled to obtain from the Bank such information and returns relating to the loans and advances, in respect of which this guarantee is available to the Bank and the Bank shall furnish such information or returns at such intervals and in such manner as may be specified or required by the Surety.

12. If there is any difference or dispute between the parties hereto, arising out of or in connection with this agreement or concerning the meaning or interpretation thereof or otherwise howsoever in relation to this agreement, the same shall be referred to the sole arbitration of the person holding for the time being the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) to the Government of India and decision of the said officer shall be final and binding on both the parties. It will be no objection that the arbitrator is a Government Servant, that he had to deal with the matters to which this guarantee relates or that, in course of his duties as a Government Servant, he has expressed views on all or any of the matters in dispute or difference. The provisions of the Arbitration Act, 1940 or

any statutory modification or re-enactment thereof shall apply to such arbitration. The arbitration proceedings shall be held at such place as the Arbitrator may decide. The Arbitrator shall be entitled with the consent of the parties, to extend from time to time the time for making the award.

13. The Stamp duty, if any, payable on this Deed of Guarantee shall be borne by the President of India.

14. In witness whereof the Surety and the Bank have caused these presents to be duly executed the day and year above mentioned.

Signature of the Officer Incharge (Guarantee and Operations)

In the Government of India in the Ministry dealing in Consumer Cooperatives, acting in the premises for an on behalf of the President of India.

In the presence of :—

Witness .

(1)

(2)

FIRST SCHEDULE

AGREEMENT

This agreement made this————————day of——————— between————————————————the President of India (hereinafter called "The Central Government" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in Office and assigns) of the one part and————————————a cooperative society registered under the——————————and having its registered/central/head office at———————————————(hereinafter referred to as "The Society" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its executers, administrators, representaives and permitted assigns and successors) on the other part, witnesseth as follows :—

In consideration of——————————————————Bank making loans, advancs, cash credit limits and other banking facilities and accommodations to the Society, inter alia on the Central Government guaranteeing repayment of a part of the loan and advance made to the society by the Bank, the Society hereby undertakes to the Central Government :—

(i) to pay the dues of the Bank regularly and promptly in accordance with the conditions laid down by the Bank while sanctioning the loan advance or cash credit ;

(ii) to carry on the business of the society diligently with a view to making profit ;

(iii) to implement a stem of regular verification of stocks, followed by prompt assessment of shortages, fixation of responsibility therefor and recovery of their value from those responsible ;

(iv) to exercise strict caution in the extension of credit facilities to societies, institutions and individuals, combined with measures for systematic and prompt recovery ;

(v) to ensure preparation of quarterly trading and profit and loss account and balance-sheet as on the last day of each quarter, together with preparation of a quarterly management report on the society's working and submit a copy of it to the Central Government and also to the State Government every quarter ;

(vi) to keep the properties and assets of the society free from encumbranges and attachment's except those in favour of the Bank and in respect of which the Government has given guarantee to the Bank or those in favour of State/Central Government ; and

(vii) to provide all facilities to the Central Government or any person or persons nominated by it in this behalf to examine the accounts and its working ;

2. The Society guarantees to the Central Government repayment of all monies that may be recovered by the Bank from the Central Government on account of any default on the part of the Society on demand without demur.

3. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement, excepting Clause 2 above shall be referred to the Sole Arbitration of the person holding the post of Additional Legal Adviser (Arbitration) Government of India. It will be no objection that the arbitrator is a Government servant or that he had expressed views in all or any of the matters in dispute or difference. The provisions contained in the Indian Arbitration Act shall apply to such arbitrations. The award of the Arbitrator shall be final and binding on both the parties.

Signed by (name and designation) for and on behalf of the PESIDENT OF INDIA

Witness :

1.——————————

2.——————————

Signed by the Authorised representative(s) of the Society (name and designation).

SECOND SCHEDULE

LETTER OF CONSENT

To

1.————————————————Bank.

2. President of India

In consideration of the President of India (hereinafter referred to as the President) having agreed to guarantee the repayment of a part of the loans and advances made to the (Name of the society)————————————————by the (Name of the Bank)——————————————— (hereinafter referred to be "the Bank"), we hereby agree that any promissory note and any security by way of pledge, or hypothecation of goods, which would include book debts, securities, investments and other movable property, that we have given and may give to the Bank in connection with such loans and advances shall be subsisting and may be retained by the Bank, notwithstanding the fact that in pursuance of the guarantee given to the Bank by the President, the President may have made good any deficit in our account.

We further agree—

(a) to continue to pay interest on any amount paid to the Bank by the President in pursuance of the President's guarantee at the same rate at which interest has been or may be charged by the Bank on the loan or advance made to us till the said amount is paid to or adjusted in favour of the President ;

(b) to credit or to permit the Bank to credit to the account of the Surety of all the amounts paid by or recovered from us on account of the loan or advance, after the date on which the President has reimbursed any amount to the Bank in pursuance of the President's guarantee but after the Bank's claim in respect of the loans and advances covered by the President's guarantees has been fully satisfied and so long as the amounts reimbursed by the President together with the interest and charges thereon have not been reimbursed by us ;

(c) to the Bank continuing to have and to exercise all the rights over the securities in favour of the Bank in respect of all such loans and advances till all such claims of the President as are referred to in clause (b) are also satisfied ; and

(d) to the Bank transferring its rights and claims under such securities to the President, if so required by or on his behalf.

Witnesses :

1.——————————

2.——————————

Signature by the Authorised representative(s) of the Society (Name and designation)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979

No. 84
31.3.79